राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-७२५२/०६

सागर भारद्वाज बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:२२.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री अनिल उपमन, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-७९६/२००६ पुलिस थाना- सांगानेर, जयपुर अपराध अन्तर्गत धारा- ४२०,४०६,५०६ व १२०-बी भारतीय दण्ड संहिता के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त-प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत सामग्री/ केस डायरी का अवलोकन किया गया।]

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि इस मामले में उसे अकारण झूंठा लिप्त किया गया है अधिक से अधिक यह धारा १३८ नेगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट एक्ट के अन्तर्गत मामला बनना कहा जा सकता है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन कहानी के अनुसार विशाल गोरी उर्फ पंकज शर्मा ने परिवादी को माल के साथ बुलाया था तथा अन्य सह अभियुक्तगण, जिनको सौदा होने पर माल की सुपुर्दगी की गयी थी, की अग्रिम जमानत स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त- प्रार्थी का कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य ही नहीं बताया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि जो चैक देना बताया गया है, वह वास्तव में उसके यहां से खो गया था, जिस पर राशि भरकर बैंक में लगा दिया गया जबकि अभियुक्त-प्रार्थी का खाता एक्टिवेट ही नहीं था। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त- प्रार्थी किसी अन्य मामले में जेल में था लेकिन पुलिस द्वारा उसे जानबुझकर गिरफ्तार नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि वह उसे गिरफ्तार ही नहीं करना चाहती।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि अभियुक्त- प्रार्थी इस मामले में मुख्य अभियुक्त है, जिसने यह जानते हुए कि उसका खाता एक्टिवेट ही नहीं है परिवादी को धोखा देकर करीब २,६०,०००/- रूपये का

माल खरीदने का ढोंग किया तथा दो लाख ०९ हजार रूपये का चैक दे दिया जबकि उसका खाता एक्टिवेट ही नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त- प्रार्थी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध इसी प्रकृति के कई मामले लम्बित है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा परिवादी को धोखा देने की नियत से खरीदे गये जवाहरात के बदले दो लाख ०९ हजार रूपये का ऐसे खाते का चैक देने का, जो एक्टिवेट ही नहीं था तथा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ षड़यंत्र कर परिवादी का कीमती माल हडपने का मामला है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता, लगाये गये आरोप व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल)